सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 27, गुरूवार, शाके 1944-फरवरी 16, 2023

Magha 27, Thursday , Saka 1944- February 16, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

प्रारंभिक अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 14, 2022

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

(RFCTLARR ACT-2013 के अनुभाग-11 के अनुसार)

संख्या एफ.2(19)सानि/एएस/अनु. 2/2022–23/डी– **:-**प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति बनास नदी हाई लेवल ब्रिज एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पटवार मण्डल कस्बा टोंक, तहसील टोंक, जिला टोंक में 0.0266 अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। ''बनास नदी कि.मी. 40/0 से 43/500 धोली कण्डीला कलमण्डा नानैर जंवाली गहलोद एम.डी.आर.-205 पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए युक्त सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ-7(30)/अनु-2 /2021-22/डी-910 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा भूमि अवाप्ति एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

भूमि अधिग्रहण के कारण टोंक में 0.0266 अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। अतः पूरक सूची धारा-11 (1) के तहत तैयार कर वास्ते अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-

कस्बा :- टोंक तहसील :- टोंक जिला :- टोंक

क्र.सं.	खसरा संख्या	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर)	व्यक्ति का नाम और पता
1.	677	निजी	चाही उत्तम	0.0266	रोडू पुत्र किशना हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।